न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 95/2024

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हरखूदेवी पत्नि जसाराम जाति जाट निवासी पोटलियों की ढाणी हाल निवासी धने की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा		1. अचलाराम पुत्र गोरधनराम जाति जाट निवासी पोटलियों की ढाणी हाल निवासी रामेदवरा तहसील सिणधरी 2. आईदानराम पुत्र अनदाराम 3. खेताराम पुत्र भेराराम 4. शाखा प्रबन्धक, जयपुर थार ग्रामीण बैंक हाल राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा होडू जिला बालोतरा 5. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, आर.टी एक्ट 1955

उपस्थिति–

1. श्री रामजीवन विश्नोई, वकील प्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।
2. प्रतिवादीगण 1 से 4 एकतरफा। राज.पैरोकार नायब तहसीलदार (उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) विप्रार्थी संख्या 5 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक–04.09.2024

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:13:08 IST
Reason: SelfAttested

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्र[illegible] की खातेदारी एवं कब्जासुदा भूमि खेत खसरा संख्या 1844/1 [illegible] 3.3897 ग्राम [illegible]यों की ढाणी पटवार क्षेत्र होड़ू तहसील सिणधरी जिला [illegible] उक्त खेत से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी खेत संख्या 1846 रकबा 8.1224 हैक्टेयर मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार मण्डल होड़ू तहसील सिणधरी में भूमि आयी हुई है। प्रार्थिनी को अपनी जोत पर आने–जाने हेतु अन्य कोई

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थीनी की जोत खसरा संख्या 1844/1 के चारों ओर से काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीनी को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। जिससे प्रार्थीनी को अपने खेत तक आने जाने में समस्या आती है। विप्रार्थीनी का खेत सरकारी रास्ता से जुड़ा है जो मौके पर स्थाई रूप से बारहमासी चलायमान सरकारी रास्ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीगण के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीनी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। अतः प्रार्थीनी ने खसरा संख्या 1844/1 रकबा 3.3897 हैक्टेयर राजस्व ग्राम पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा से सड़क मार्ग तक जाने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा संख्य 1846 रकबा 8.1224 हैक्टेयर मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार मण्डल होडू तहसील सिणधरी में से होकर गुजरते हुए रास्ते के रूप में प्रयुक्त हो रही भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी खाते में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थीनी का आवेदन दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने अथवा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवादी अमल में लाई गई। विप्रार्थी संख्या 5 की ओर से राज.पैरोंकार नायब तहसीलदार उपस्थित रहे तथा विवादित भूमि की मौका रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई।

3. प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीनी की सहखातेदारी भूमि खसरा संख्या 1844/1 रकबा 3.3897 ग्राम पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होडू तहसील सिणधरी जिला बालोतरा में अवस्थित है। उक्त खेत से सड़क मार्ग तक आने जाने हेतु विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की खातेदारी खेत संख्या 1846 रकबा 8.1224 हैक्टेयर मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार मण्डल होडू तहसील सिणधरी में भूमि आयी हुई है। प्रार्थिनी को अपनी जोत पर आने–जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थी की जोत खसरा संख्या 1844/1 के चारों ओर से काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थीनी को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते है एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है। जिससे प्रार्थीनी को अपने खेत तक आने जाने में समस्या आती है। विप्रार्थीगण का खेत सरकारी रास्ता से जुड़ा है जो मौके पर स्थाई रूप से बारहमासी चलायमान सरकारी रास्ता है और उक्त प्रस्तावित रास्ता ही प्रार्थीनी के लिए सुविधा जनक है,क्योंकि उक्त अनकटा रास्ता इस हेतु इकलौता विकल्प है तथा रास्ते की प्रार्थीनी को आत्यन्तिक आवश्यकता है। आगे ओर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:13:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

कथन किया कि प्रस्तावित रास्ते की तहसीलदार सिणधरी द्वारा मौका जांच की गई। अतः तहसीलदार सिणधरी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीनी के पक्ष में रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त रास्ता राजकीय खाते मे गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किया जावे। प्रार्थीनी रास्ते में जाने वाली भूमि के बदले विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने से भी सहमत है। इससे अदालत को यह प्रतीत होता है,कि प्रार्थिनी के आवेदन को स्वीकार किये जाने की विप्रार्थीगण की स्वीकृति है। ऐसी सूरत में उक्त प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है और तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित रास्तें का मौका मुआयना करने से पूर्व जरिये नोटिस पक्षकारान को सूचित किया जाकर उनकी उपस्थिति में मौका जांच कार्यवाही की गई। इस प्रकार रांस्तें हेतु खसरा संख्या 1846 क्षेत्रफल 8.1224 हैक्टयर में लम्बाई 112 गट्ठा व चौड़ाई 3 गट्ठा अर्थात रकबा 0.1376 हैक्टयर का रास्ता प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्तावित भूमि की डी.एल.सी. दर अंसिचित सड़क के पास राशि–237488/–रूपयें प्रति हैक्टयर है। **नियमानुसार** रास्ते में प्रभावित भूमि के खातेदारान को उक्त भूमि की डी.एल.सी दर से दुगुनी राशि प्रार्थीनी से दिलवाने जाने का प्रावधान है। इस प्रकार मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होड़ू, तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1846 क्षेत्रफल 8.1224 हैक्टयर में लम्बाई 112 गट्ठा व चौड़ाई 3 गट्ठा अर्थात रकबा 0.1376 हैक्टयर की राशि–90200/–विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को दी जानी प्रस्तावित है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि प्रार्थीनी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीनी रास्ता पाने की हकदार है। प्रार्थीनी रास्ते की भूमि के बदले क्षतिपूर्ति राशि अदा किये जाने हेतु सहमत है।

4.लिहाजा प्रार्थीनी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा पोटलियों की ढाणी पटवार क्षेत्र होड़ू, तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 1846 क्षेत्रफल 8.1224 हैक्टयर में लम्बाई 112 गट्ठा व चौड़ाई 3 गट्ठा अर्थात रकबा 0.1376 हैक्टयर की राशि–90200/–विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को भुगतान करतें हुए मौका रिपोर्ट के सलंग्न दर्शित नक्शे में बरंग हरा कलर — लाईन अनुसार रास्ता निकालने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्रार्थीनी द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 4 को देय क्षतिपूर्ति कुल राशि–90200/–अक्षरे नब्बे हजार दो सौ रूपयें मात्र तहसील कार्यालय सिणधरी में संधारित जी.ए.55 रसीद के जरिये राजकोष में जमा करवाये जाने पर तहसीलदार सिणधरी को उपरोक्तानुसार में प्रस्तावित रकबानुसार रास्ते में जाने वाली भूमि का राजकीय खाते में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:13:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिणधरी के पत्र कमांक:भू.अ./वाद/2024/2211 दिनांक 07.082024 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

आदेश आज दिनांक 04.09.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:13:08 IST
Reason: SelfAttested